रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 17, 2010/भाद्र 26, 1932
No. 232] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 17, 2010/BHADRA 26, 1932

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2010

सं. एल-7/142/157/2008-केंविविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **विनियम 2 का संशोधन.**—मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के पश्चात् दूसरा परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह कि जहां उत्पादन केंद्र की बाबत टैरिफ का अवधारण इन विनियमों के प्रचालन की तारीख को किया गया है, वहां अतिरिक्त पूंजीकरण से संबंधित याचिकाओं के लिए फीस का संदाय इन विनियमों के विनियम 3 के खंड (3) के अनुसार किया जाएगा।"

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/10-असा.]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र संख्या 174, तारीख 27-10-2008 को प्रकाशित किए गए थे तथा निम्नानुसार संशोधित किए गए थे :

(i) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2009, भारत के राजपत्र (असाधारण), संख्या 128, भाग III, खण्ड 4, तारीख 24-7-2009 में अधिसूचित किए गए ।

(ii) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2010, भारत के राजपत्र (असाधारण), संख्या 153 भाग III, खण्ड 4, तारीख 7-6-2010 में अधिसूचित किए गए ।